

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3315/2026

Sandeep Singh S/o Jarnel Singh, Aged About 26 Years, R/o Near Gurudwara, Thathi Bhai, Tehsil Bagapurana, District Monga Punjab.(In Judicial Custody At Central Jail, Hanumangarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

---

For Petitioner(s) : Mr. Amit Gaur

For Respondent(s) : Mr. Hanuman Prajapati, PP

---

**HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT**

**Order**

**27/03/2026**

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 70/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बरामदसुदा मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम का है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है एवं प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई एन.डी.पी.एस. एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**07.** परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **संदीप सिंह पुत्र श्री जरनेल सिंह**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

**(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J**

286-mayank/-